

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1065 सन 2021

अनवान :-

1. रामनिवास पुत्र लिछमण जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. लिछमण पुत्र लादूराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. राजकुमार पुत्र लादुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र लादुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 23.11.2021.

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 486/482 की कुल 38.2550 हैक्ठु भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मुश्तरका खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य हे जिन्होंने काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ हे जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एवं प्रतिवादी के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है वाद भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से भूमि काश्त की सूविधा का ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसीप्रकार का ऐतराज नहीं हे व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 486/482 की कुल 38.2550 हैक्ठु भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मुश्तरका खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से भूमि काश्त की सूविधा का ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेटोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

वादी रामनिवास के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 486/482 के खसरा न0. 615 की 4.5109 हैक्ठु व खसरा न0 384 की 3.8863 हैक्ठु भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 486/482 के खसरा न0 600 की 10.0290 हैक्ठु भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 राजकुमार के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 486/482 के खसरा न0 613/3 की 2.5340 हैक्ठु व खसरा न0 615 की 5.5221 हैक्ठु व खसरा न0 384 की 4.3923 हैक्ठु भूमि रहेगी

प्रतिवादी संख्या 3 ओमप्रकाश के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 486/482 के खसरा न0. 613/3 की कुल 5.0160 हैक्ठु व खसरा न0 384 की 4.8983 हैक्ठु भूमि रहेगी

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021. को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... मन्दरपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रामनिवास पुत्र लिछमण जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. लिछमण पुत्र लादूराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
2. राजकुमार पुत्र लादुराम जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
3. ओमप्रकाश पुत्र लादुराम जाति ब्राह्मण निवासी. मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1065 सन 2021 निर्णय दिनांक- 23.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी रामनिवास के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 486/482 के खसरा न0. 615 की 4.5109हैक व खसरा न0 384 की 3.8863हैक भूमि रहेगी ।

प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 486/482 के खसरा न0 600 की 10.0290हैक भूमि रहेगी ।

प्रतिवादी संख्या 2 राजकुमार के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 486/482 के खसरा न0 613/3 की 2.5340हैक व खसरा न0 615 की 5.5221हैक व खसरा न0 384 की 4.3923हैक भूमि रहेगी

प्रतिवादी संख्या 3 ओमप्रकाश के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 486/482 के खसरा न0. 613/3 की कुल 5.0160हैक व खसरा न0 384 की 4.8983हैक भूमि रहेगी

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट....मन्दरपुरा